कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष स. 0294.2421255, 2420013, **Helpline no.** 0294.2426262 वेबसाइट- **www.udaipurmc.org**

क्रमांकः—राजस्व / 2025—26 / 1039 दिनांक :— 7/1/2026

<u>सार्वजनिक—सूचना</u>

नगर निगम, उदयपुर द्वारा अस्थाई अतिक्रमण 2025 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त केबिन, थैलागाडी व अन्य सामान को नगर निगम परिसर में रखवाया जाता है। इस सम्बन्ध में जब्त सामान मालिकों को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त सामान को नोटिस प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार आवेदन व जुर्माना जमा कराने के पश्चात अपनी सामान प्राप्त करें। निर्धारित समय सीमा के बाद उक्त सामान को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 (5). (9) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति का अधिहरण कर राशि राजकोष में जमा करायी जायेगी। अधिहरण कार्यवाही के पश्चात किसी प्रकार का उजर ऐतराज स्वीकार्य नहीं होगा।

सूचित होंवें।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त आम सूचना का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र **<u>राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित करवायें</u>** तथा कार्यादेश की प्रति ई—मेल आई.डी. revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. प्रभारी अधिकारी, विद्युत शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नगर निगम की वेबसाईट एवं मोबाईल एप पर करावें।
3. प्रेस सलाहकार नगर निगम, उदयपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में आम सूचना की जानकारी का प्रकाशन करावें।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2026.01.07 01:30:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19678786